498

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय खण्डपीठ रीवा म0प्र0

R 4299-II/12

गुंलजार सिंह पिता स्व0 इन्द्रजीत सिंह निवासी सलैया 13 तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0, ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

गजराज सिंह पिता स्व0 सुखबदन सिंह निवासी खलेसर उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 .... उत्तरदाता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया म0प्र0 रा0प्र0क्र0 23/निगरानी/10-11 आदेश दिनांक 30.07.2012 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959।

मान्यवर,

पुनरीक्षण का सर तथ्य यह है कि आराजी खसरा नं0 398/1 रकवा 2.74 एकड़ एवं खसरा नं0 100 रकवा 1.50 एकड़ स्थित ग्राम कौड़िया तहसील बांधवगढ़ वर्तमान तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 के पूर्व भूमिस्वामी इन्द्रजीत सिंह पिता स्व0 शिवनन्दन सिंह निवासी कौड़िया रहे है जिनका पुत्र गुलजार सिंह एवं गुलाब सिंह तथा दिलदार सिंह है। गुलाब सिंह व दिलदार सिंह ने अपना हक हिस्सा लेकर के पृथक रह रहे है जिनका वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नही है। पुनरीक्षणकर्ता हितबद्ध पक्षकार है जिस कारण उक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किया गया विधि विपरीत नामान्तरण को निरस्त करापाने हेतु नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश किया था

गुलजार सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- निग.-4299-दो/2012 जिला-उमरिया

गुलजार सिंह विरूद्ध गजराज सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री उमाकांत विश्वकर्मा एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री जे.पी. मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 23/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~10-12-2012~~ 21.11.2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय	
23/01/19		

आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य